

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),

उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:सा0(1) शिविर/3031-3/30 /2019-20 दिनांक 18 जून, 2019

विषय:-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऑन-लाइन स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

सूच्य है कि शिविर कार्यालय के पत्रांक सा0(1)शि0/2576-2675/2019-20 दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा वर्तमान सत्र हेतु आनलाइन स्थानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की दृष्टि से प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु तैयार किये गये समान्य निर्देश एवं अन्य कार्यवाही की स्थिति से आपको अवगत कराया जा चुका है।

तत्काल पभाव से प्रश्नगत प्रकरण में उक्त गतिमान आनलाइन स्थानान्तरण प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही रिक्तियों को पुनः संशोधित कर फीड कराने तथा अब तक आवेदकों द्वारा सबमिट किये गये आवेदन पत्रों को रिसेट कर दुबारा आवेदन कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आनलाइन स्थानान्तरण प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा में परिवर्तन करते हुए रिक्तियों को फीड किये जाने तथा आवेदन करने वाले आवेदकों को पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः संलग्न संशोधित समय सारिणी के अनुसार अपने स्तर से की जाने वाली कार्यवाही को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें साथ ही अपने जनपद में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (पुरुष/महिला) एवं समकक्षीय पदधारकों को पुनः आवेदन करने तथा जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी संशोधित तिथि से संसूचित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश संशोधित समय सारिणी के अनुरूप यथावत् प्रभावी रहेंगे। प्रकरण महत्वपूर्ण है शिथिलता कदापि न बरती जाय।

**संलग्नक-उक्तवत्।**

भवदीय,

वि०

(विनय कुमार पाण्डेय)

शिक्षा निदेशक(मा0),

उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन सख्या सा0(1) शि0/ /2019-20 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ।
- (2) शिक्षा निदेशक(बेसिक)/निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संस्थानों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) के समकक्षीय पदों पर कार्यरत अधिकारियों एवं उनके संस्था प्रधानों को अपने स्तर भी संसूचित करने का कष्ट करें।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु।
- (4) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने मण्डल के नियंत्रणाधीन समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- (5) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ को समस्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार पाण्डेय)

शिक्षा निदेशक(मा0),

उ0प्र0, लखनऊ।